जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी–1649 दिनांकः–3/11/11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 83वीं बैठक दिनांकः 30.09.11 को अपरान्ह 3.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		83:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं से 81वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 81वीं बैठक दिनांक 23.08.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं से 81वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों में पालना रिपोर्ट अवशेष है आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के उपायुक्तों को निर्देश दिये गये।
2.	4	83:2	सवाई गेटोर योजना के भूखण्ड संख्या 12 का शेष हिस्सा (45 वर्गमीटर) का पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास स्वरूप आवंटन/नियमन करने बाबत।	प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश शर्मा को पुनर्वास नीति के तहत सवाई गैटोर योजना के भूखण्ड सं. 12 में से क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 29.05.03 को किया गया था। प्रार्थिया का कथन है कि अधिकारियों के मौखिक आदेशानुसार मैने 90 वर्गमीटर पर तत्समय निर्माण करवा लिया था। अब प्रार्थिया शेष 45 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहती है। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका ने 90 वर्गमीटर भूमि पर ही निर्माण करवा लिया था। अतः विचार–विमर्श कर आवेदिका को भूखण्ड सं. 12 का शेष 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर (स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के रूप में) आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	13	83:3	श्री रमेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्याम लाल गोयल को कल्पना नगर योजना में भूखण्ड एफ–56 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री रमेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्याम लाल गोयल को पृथ्वीराज नगर योजना विवादित हो जाने के कारण विकल्प प्रस्तुत करने पर कल्पना नगर योजना का भूखण्ड सं. एफ–56 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर आवंटन किया गया था किन्तु मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 595 वर्गमीटर होने के कारण उक्त भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए समान माप के भूखण्ड सं. बी–161, बी–175, बी–176, बी–190 जो कि प्रत्येक 450 वर्गमीटर के है, में से 1 भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
4.	4	83:3(1)	ई.पी. के सामने 200 फीट रोड निर्माण में आ रही दुकान सं. 52, 53 एवं 54 (प्रत्येक 50 वर्गगज) कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज को पुनर्वास के रूप में दुकन के बदले दुकान देने बाबत।	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री चौथूराम शर्मा ने ई. पी. के सामने 200 फिट रोड निर्माण में आई दुकान सं. 52, 53, 54 प्रत्येक 50 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज पुनर्वास के रूप में आवंटन की मांग की है। दिनांक 05.04.10 को आयोजित एलपीसी की बैठक में दुकान सं. 53 के सर्वेधारी श्री जगदीश शर्मा को टोंक रोड स्थित सुखपुरिया ग्राम में जविप्रा के स्वामित्व की दुकानो में से 1 दुकान सं. 38 क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर वाणिज्यिक आरक्षित दर 35000/–रू. प्रति वर्गमीटर पर आवंटन की अभिशंषा का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 24.06.10 को प्राप्त हुई। आवेदक शेष 133 वर्गमीटर भूमि और आवंटन चाहता है। आवेदक के प्रकरण पर मुख्य विधि सहायक, जोन–4 व अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) द्वारा जांच करने पर दुकान सं. 52, 53, 54 पर प्रार्थी का स्वामित्व माना गया है। अतः पूर्व में अन्य प्रकरणों में लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जोन–8 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी योजना में सेक्टर रोड पर जविप्रा हिस्से की दुकाने जिनका क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज है, व्यावसायिक भूमि का आवंटन क्षेत्र की वाणिज्यिक दर पर करने का निर्णय लिया गया।
5.	4	83:3(2)	मैसर्स राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 को ग्राम सूरजपुरा घाटी तहसील सांगानेर के खसरा नं. 185 व 187 की 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	मैसर्स राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री गौरव बरडिया ने उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 200 व 186/1 के मध्य जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 185 व 187 गै0मु0 रास्ता की 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। एलपीसी की बैठक दिनांक 25.11.10 के निर्णयानुसार प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु भिजवाया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29.03.11 में यह निर्देश दिये है कि मैसर्स राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 को ग्राम सूरजपुरा घाटी में उनकी निजी खातेदारी में खसरा नं. 181/2, 186/1 व 200 के मध्य में जविप्रा के स्वामित्व के खसरा नं. 185 व 187 किस्म गै0मु0 रास्ते की भूमि अनुपयोगी बताई गई है एवं जविप्रा की किसी योजना के लिए भी वांछित नहीं होना बताया गया है, को मैसर्स राधागोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 को आवासीय ग्रुप हाउसिंग व निजी योजनाओं के लिए टाउनशिप नीति, 2010 के बिन्दु सं. 13(V) के अन्तर्गत क्षेत्र के मास्टर प्लान में अंकित भू–उपयोग हेतु निर्धारित वर्तमान आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, पर आवंटन किये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। मास्टर विकास योजना 2025 में उक्त भूमि का भू–उपयोग वाणिज्यिक है। प्रश्नगत भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में वर्गीकृत है जिसकी चौडाई लगभग 15 फिट

				होने व आवेदक की खातेदारी भूमि के बीच में स्थित होने के कारण जविप्रा द्वारा कोई स्वतंत्र नीलामी नहीं की जा सकती। वाणिज्यिक भूमि आवंटन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण सक्षम नहीं है। अतः उक्त 200 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र की वाणिज्यिक दर 28463/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन के निर्णयार्थ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 83वी बैठक दिनांक 30.09.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री रामअवतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित